आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-16/2022

मुन्नी कुमार सिंह.....वादी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य .....विपक्षी

23.06.2023

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-5829/2020 में दिनांक 23.11.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

"....Petitioner has approached this Court without availing the statutory remedy of revision against the impugned order, as such, liberty is granted to petitioner to file revision against the impugned order before the Revisional Authority and if any such revision is filed within 4 weeks, then revisional authority shall condone the delay in filing the revision as the matter remain pending before this Court and shall decide the revision petition on its own merit preferably within 8 weeks from the date of its filing."

वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा दिनांक 11.05.2017 को पूर्वा0 8.52 बजे वादी के पी0डी0एस0 दुकान की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में वादी का दुकान बंद पाया गया तथा कतिपय अन्य अनियमितता दृष्टिगोचर हुए, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(i) सूचना तथा भण्डार एवं मूल्य प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं पाया गया।

(ii) सरकार द्वारा निर्धारित समय में विक्रेता की दुकान बंद पायी गई और विक्रेता अनुपस्थित थे। विक्रेता का दुकान बंद रहने के कारण आवश्यक पंजियों का निरीक्षण नहीं किया सका।

(iii) विक्रेता से सम्बद्ध उपभोक्ता रामसकल साह, कार्ड सं0-3100107 एवं अन्य ने बताया कि विक्रेता द्वारा माह फरवरी, 2017 से माह अप्रैल 2017 तक राशन की आपूर्ति नहीं की गई है।

(iv) विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को कैशमेमों नहीं दिया जाता है।

(v) माप-तौल अनुज्ञप्ति का भी सत्यापन नहीं किया जा सका।

(vi) व्यापार स्थल पर लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं पायी गई।

दुकान बंद पाए जाने तथा अन्य दुष्टिगोचर अनियमितताओं के बिन्दु पर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक-260/आ0, दिनांक 29.05.2017 द्वारा वादी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके प्रत्युत्तर में वादी द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को इस आधार पर असंतोषजनक माना गया कि विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में चिकित्सक डॉ0 धीरज कुमार पाण्डेय द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र संलग्न किया गया

है जिसमें दिनांक 10.05.2017 से दिनांक 12.05.2017 तक कफ कोल्ड एवं फीवर होने की पर्ची एवं तत्पश्चात उपचार के ब्योरे का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक-407/आ0, दिनांक 20.07.2017 द्वारा वादी को **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 की कंडिका 15,** जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान की कार्यावधि एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमति के पश्चात ही विक्रेता के अवकाश पर जाने से संबंधित है **तथा कंडिका 20,** जो वितरण की संपुष्टि हेतु वांछित प्रमाण-पत्र, कागजात उपलब्ध कराने से संबंधित है, के उल्लंघन का दोषी पाते हुए उनकी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अनुज्ञापन पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध वादी द्वारा **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2016 के कंडिका 32(i) के प्रावधान के** तहत न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष आपूर्ति अपीलवाद सं0-56/2017 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 03.01.2018 को पारित आदेश में अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-5829/2020 दायर किया गया है जिसमें दिनांक 23.11.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिला दण्डाधिकारी, सारण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं साक्ष्यों पर विचार किए बिना ही उनके अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, जो कि नियम संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी के तर्कों का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** द्वारा निर्धारित अवधि में वादी की दुकान बंद पायी गयी है तथा वे व्यापार स्थल से अनुपस्थित भी रहे हैं जो **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 14(viii)(x) एवं कंडिका 15(i)** में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि दुकान बंद रहने के कारण आवश्यक पंजियों, माप-तौल अनुज्ञप्ति आदि का निरीक्षण नहीं किया जा सका। उनके द्वारा आगे बताया गया कि निरीक्षण के समय एक उपभोक्ता राम सकल साह, कार्ड सं0-3100107 एवं छः (06) अन्य उपभोक्ताओं द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष बताया गया है कि उन्हें माह फरवरी, 2017 से माह अप्रैल, 2017 तक राशन की आपूर्ति नहीं की गयी है। इसके अलावे वादी पर उपभोक्ताओं को कैशमेमों नहीं दिए जाने, व्यापार स्थल पर लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं करने, व्यापार स्थल पर सूचना तथा भण्डार एवं मूल्य प्रदर्शन तालिका प्रदर्शित नहीं किए जाने का आरोप है, जिसके विषय में वादी द्वारा कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में वादी के विरुद्ध उक्त आरोप प्रमाणित प्रतीत होते है।

उक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त है, जिसे यथावत रखा जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, निम्न न्यायालीय अभिलेख वादी द्वारा प्रस्तुत कारण-पृच्छा के सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए है,

बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 15(ii) में प्रावधान किया गया है कि *"अपरिहार्य कारणों से यदि कोई उचित मूल्य की दुकान का स्वामी एक सीमित अवधि के लिये अपनी दुकान का संचालन करने में असमर्थ हो, तो उसके द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन पत्र दिया जायेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान से संबंधित उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के पश्चात ही उसे अवकाश में रहने की अनुमति दे सकेगा। एक बार में अवकाश की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी।"* परंतु प्रस्तुत मामलें में वादी द्वारा दुकान बंद रखने से संबंधित कोई पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गयी है, जो अनुज्ञप्ति के शर्तो का गंभीर उल्लंघन है। निरीक्षण की तिथि को वादी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना/अनुमति के प्रश्नगत दुकान को बंद रखा गया है, जिसके कारण निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा दुकान से संबंधित पंजियों तथा माप-तौल अनुज्ञप्ति का निरीक्षण नहीं किया जा सका हैं जो **बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 14(viii)** में अंकित प्रावधानों एवं अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन है। इसके अलावे अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा वादी पर अनुज्ञप्ति के शर्तो के उल्लंघन का आरोप तथा इस क्रम में वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप अप्रमाणित साबित नहीं होते है।

अतएव, उपर्युक्त वर्णित कारणों से समाहर्त्ता, सारण द्वारा आपूर्ति अपीलवाद सं0-56/2017 में दिनांक 03.01.2018 को पारित आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।